उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

9/7/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। विपक्षी सं. 1 व 5 की ओर से वकील [illegible] गोदारा द्वारा वकालातनामा व जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि [illegible] व [illegible] मौके पर है [illegible] है [illegible] पक्षों की [illegible] कार्यवाही [illegible] की [illegible] वकील प्रार्थीगण ने [illegible] की [illegible] [illegible] से [illegible] कार्यवाही [illegible] [illegible] [illegible] किया [illegible] पत्रावली [illegible] दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी गाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 55 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. चंदाराम पुत्र हरजीराम
2. जमनादेवी पत्नी जगमालराम
   जाति विश्नोई निवासी मोगतीबेरी, राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. किसनाराम पुत्र हनुमानराम
2. देवाराम पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई
3. अमराराम पुत्र रामाराम
4. चनणाराम पुत्र वीराराम
5. वीराराम पुत्र चेतनराम जाति लोहार
6. नवलाराम पुत्र दोलाराम
7. रूपाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट
8. पूनमाराम पुत्र तेजाराम
9. भारताराम पुत्र तेजाराम
10. विरधाराम पुत्र तेजाराम
11. हुकमाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई
    निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
12. गंगाराम पुत्र रूखमणाराम
13. चुनाराम पुत्र रूखमणाराम
14. फूसाराम पुत्र रूखमणाराम
    जाति जाट निवासी छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
15. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रोशनलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री भाखराराम विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 14**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता श्री भाखराराम विश्नोई हुए तथा प्रार्थीगण के वाद पत्र का लिखित जबाव प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल चौधरी एवं विप्रार्थी संख्या 14 के विद्वान अधिवक्ता श्री भाखराराम विश्नोई की बहस सुनी। वकील विप्रार्थी संख्या 14 ने अपनी बहस में कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 14 की खातेदारी के खेत ग्राम छोटू में आया हुआ है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम राणासर खुर्द में अवस्थित है। दोनों गावों की सीमा पर ऑवरलिपिंग है इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखम कार्यवाही एक साथ सम्पादित की जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

गनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा राणासर खुर्द पटवार क्षेत्र राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 95, 95/4 रकबा क्रमशः 5.1071, 1.6187 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि ग्राम राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 95, 95/4 रकबा क्रमशः 5.1071, 1.6187 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि विप्रार्थी संख्या 14 की खातेदारी छोटू के खेत खसरा नम्बर 1115/350, 1114/327 रकबा क्रमशः 0.1619, 7.7214 हैक्टेयर की भूमि ग्राम राणसर खुर्द की सीमा पर अवस्थित है तथा दोनों पक्षों की बहस अनुसार दोनों गावों की सीमा पर ऑवरलिपिंग की स्थिति है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नौखडा को निर्देश हैं कि उक्त उनवान प्रकरण की आराजी एवं विप्रार्थी संख्या 14 के नेखमबन्दी प्रकरण संख्या 30/23 उनवान फूसाराम बनाम केसाराम की नेखम कार्यवाही दोनों पक्षों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की सीमा तय कर मुश्तकिल बिन्दु कायम करते हुए सम्पादित की जावे। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2023/772 दिनांक : 25/7/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

चंदाराम वगैरा **किशनाराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......55/2023.. निर्णय दिनांक :– **21.07.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **राणासर खुर्द** के खेत खसरा नम्बर 95, 95/4 रकबा क्रमशः 5.1071, 1.6187 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार....नौखडा**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500/–...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

नोट : **उक्त प्रकरण एवं प्रकरण संख्या 30/2023 उनवान फूसाराम बनाम केसाराम निर्णय दिनांक 21.07.2023 की नेखम कार्यवाही एक साथ सम्पादित की जावे।**

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी

क्रमांकः वाद/2023/773-74 दिनांक : 25/7/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार नौखडा
2. थानाधिकारी..........RGT रावली नाडी नगर
3. हल्का पटवारी....**छोटू/राणासर खुर्द** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........चंदाराम वगैरा
5. विप्रार्थीगण.....किशनाराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी